10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/2569

प्रकरण कमांक --------/2017 पुनरीक्षण

महन्त प्रियओमदास चेला महंत रामलखनदास जाति बैरागी, निवासीः कस्बा गोरमी, परगना मेहगॉव, जिला-भिण्ड मध्यप्रदेश.

-- *आवेदक*

श्री आर-एस-सेंगर द्वारा आज दि. 8-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 8/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मेहगॉव, जिला भिण्ड
2. नायब तहसीलदार, वृत गोरमी, तहसील मेहगॉव, जिला भिण्ड

--*अनावेदकगण*

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता1959 पारित आदेश दिनांक 11.4.2017 द्वारा श्री आर0बी0 प्रजापति, अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 01/2013–14/पुर्न. जिसके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता निरस्त कर, आदेश दिनांक 22.10.2003 पारित विद्वान अपर आयुक्त महोदय प्रकरण कमांक 153/2002–2003 अपील को स्थिर रखा गया।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, ग्राम गोरमी में काली मर्दन व रामजानकी मंदिर स्थित है जिससे करीब 24 मौजों की भूमि कालीमर्दन जी के नाम से तथा कुछ ग्रामों में रामजानकी मूर्ति के नाम से लगी हुई है। इसके अलावा महन्त के भूमि स्वामित्व की भूमि है जो मौजा गोरमी, चंदेनी, कोटि, हसनपुरा आदि मौजों मे है। पूर्व में उक्त जायदाद के महन्त श्री गिरवरदास जी हुए जिनका गुरूशिष्य वृक्ष निम्नानुसार हैः–

गिरवरदास

मंदनमोहन दास (बिना शिष्य के वर्ष 1974 में स्वर्गवास)	कल्यानदास (केवल आवेदक शिष्य, वर्ष 2000 में स्वर्गवास)	रामदास (बिना शिष्य के स्वर्गवास)

28 चित्रा सक्सेना शपथ आयुक्त ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

कु. चित्रा सक्सेना
ओथ कमिश्नर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / भिण्ड / भू0राज0 / 2017 / 2569

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3 –11–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने प्रश्नाधीन भूमि माफी औकाफ की होने एवं प्रबंधक कलेक्टर भिण्ड दर्ज होने के कारण आवेदक द्वारा नामांतरण किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किये गये आदेश को यथावत रखा है। माफी औकाफ की भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम नामांतरण किया जाना वैधानिक दृष्टि से अनुचित है। इस कारण अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन आवेदन को अस्वीकार किया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	